मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२५

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है.

धारा १३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

आवश्यक कर का संदाय करने में असफल और/या बिना परमिट संचालन के लिए शास्ति.

"१३. (एक) (क) यदि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी यान के संबंध में शोध्य कोई कर, धारा ५ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त नहीं किया गया है, तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए कर की असंदत्त रकम के ४ प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा किन्तु शास्ति, कर की असंदत्त रकम के चार गुना से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन-काल कर का संदाय नहीं किया गया है तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यतिक्रम के लिए जीवन-काल कर के एक-दशमांश की दर से, किन्तु धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम परंतुक के अधीन देय जीवन-काल कर से अनधिक, शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा.

(ख) मध्यप्रदेश राज्य के अन्यथा अन्य राज्य में पंजीकृत परिवहन यान (मध्यप्रदेश राज्य में संचालन के लिए वैध परमिट के साथ) या संनिर्माण उपस्कर यान या किसी अन्य श्रेणी का वाहन यदि इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में ऐसे यान के लिये यथा विनिर्दिष्ट मोटरयान कर के संदाय किये बिना मध्यप्रदेश राज्य में चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर के अतिरिक्त, असंदत्त कर की रकम के चार गुना शास्ति का दायी होगा;

(दो) उपधारा (एक) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि,-

(क) लोकसेवा यान/निजी सेवायान/शैक्षणिक संस्था बस/स्कूल बस बिना परमिट या परमिट में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अन्यथा, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे यान के चालक को छोड़कर पंजीकृत बैठक क्षमता अनुसार, रूपये १०००/- प्रति सीट शास्ति का दायी होगा;

(ख) माल वाहन बिना परमिट या परमिट में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अन्यथा, मध्यप्रदेश राज्य में चलाए जाते हुए पाए जाएं, तो ऐसे यान का स्वामी, देय मोटरयान कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे यान के सकल यान भार अनुसार रूपये १०००/- प्रति टन या उसके भाग के लिए शास्ति का दायी होगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मोटरयान कर को युक्तिसंगत करने के उद्देश्य से, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन १९९१) की धारा १३ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ३१ जुलाई, २०२५.

उदय प्रताप सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) से उद्धरण.

* * * *

धारा १३. (१) यदि किसी मोटरयान के सम्बन्ध में शोध्य कोई कर, धारा ५ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार संदत्त नहीं किया गया है, तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए व्यक्तिक्रम के लिए कर की असंदत्त रकम के ४ प्रतिशत की दर से शास्ति के लिए दायी होगा किन्तु शास्ति कर की असंदत्त रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि इस अधिनियम के अधीन जीवन-काल कर का संदाय नहीं किया गया हो, तो स्वामी, शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के व्यक्तिक्रम के लिए जीवन-काल-कर के एक-दशमांश की दर से, किन्तु धारा ३ की उपधारा (१) के प्रथम परंतुक के अधीन देय जीवन-काल-कर से अधिककर, शास्ति के लिए दायी होगा.

(२) मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ७२, ७४, ७६, ७९, ८७ और ८८(१), (६) तथा (११) के अधीन मध्यप्रदेश या किसी अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले मोटरयान, यदि अनुज्ञापत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा या बिना अनुज्ञापत्र के चलाये जाते हुए पाए जाएं तो ऐसे यान का स्वामी, कर के अतिरिक्त, प्रतिमास, शास्ति का दायी होगा, जो ऐसे यान के लिए इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट मासिक, तिमाही एवं वार्षिक कर की रकम की चौगुनी होगी.

परन्तु ऐसा यान जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिसके जीवन-काल कर का संदाय द्वितीय सूची में विनिर्दिष्ट दर से किया गया है, ऐसे यान का स्वामी जीवन-काल कर का २५ प्रतिशत शास्ति के रूप में जमा करने का दायी होगा.

* * * * *

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.